(91)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर (म0प्र0)

प्र.क्र.– /निगरानी/भू.राजस्व/2016–17

I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा/2017/3391

श्रीमती कृष्णा सिसौदिया पत्नि गोविन्द सिंह सिसौदिया आयु 56 निवासी ग्राम मातौल तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) हाल– निवासी [illegible]न दरवाजा तहसील व जिला टीकमगढ. (म.प्र.)

.... निगराकार/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. [illegible]रथ तिवारी तनय स्वः श्री प्रभुदयाल तिवारी आयु 61 वर्ष निवासी ग्राम गहरवार थाना ईशानगर जिला छतरपुर (म.प्र.) हाल निवासी जानकीबाग तिराहा तहसील व जिला टीकमगढ. (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, टीकमगढ. (म.प्र.)

.... अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 एवं धारा 32 म.प्र. भू राजस्व सहिता के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.06.2016 एवं कार्यवाही विद्वावान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, टीकमगढ़ जिन्होने प्रकरण क्रमांक 85/बी–121/2016–17 में दिनांक 08.06.2016 को अनावेदक क्र. 1 के आवेदन पत्र को अवैद्य व अनियमित ढंग से म्यांद के बाहर एवं सिविल प्रकरण श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ के समक्ष दो सिविल प्रकरण लंबित होने पर भी सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाकर शुरू से लेकर अवैद्य व अनियमित ढंग से कार्यवाही की गई।

महोदय,

निगरानी के प्रमुख आधार सादर निम्न प्रकार हैः–

1– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में उक्त अनावेदक क्र. 1 भागीरथ तिवारी द्वारा दिनांक 06.06.2016 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर दिनांक 08.06.2016 को उक्त आवेदन–पत्र सुनवाई हेतु ग्राहय किया गया, तथा अवैद्य व अनियमित ढंग से कार्यवाही की प्रारंभ गई । जिसमें दिनांक 26.09.2017 नियत है।

2– यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में आनवेदक क्र. 1 भागीरथ तिवारी द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस पश्चात एवं 18 वर्षो बाद पश्चात उक्त आवेदन दिनांक 06.06.2016 को प्रस्तुत किया गया। जो प्रथम दृष्टया म्यांद के बाहर था व है।

3– यह कि विवादित मकान/जमीन के सम्बंध में न्यायालय श्रीमान् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 टीकमगढ़ (श्रीमती आरती शर्मा) में सिविल कैश–01/11 द्वारिका प्रसाद सिरवैया बनाम भोलाराम एवं श्रीमती कृष्णा सिंह सिसौदिया बगैरह लंबित होकर वर्तमान में न्यायालय श्रीमान् प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (श्री मित्तल साहब) टीकमगढ़ के समक्ष प्र.क्र. RCA/23/2017 द्वारिका प्रसाद बगैरह बनाम भोलाराम बगैरह एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/3391

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. सिसोदिया एवं श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री प्रखर डेंगुला उपस्थित। उभयपक्षों को ग्राह्यता एवं स्थगन के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.06.2016 द्वारा अनावेदक क्र. 1 के आवेदन-पत्र को अवैध तरीके से दो सिविल प्रकरण लंबित होने पर भी सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया है, जो अवैधानिक कार्यवाही है। उक्त आधार पर उनके द्वारा निगरानी ग्राह्य कर स्थगन दिए जाने का निवेदन किया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई दस्तोवेज इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त संबंध में दो सिविल प्रकरण लंबित हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण का निराकरण अभी अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में निगरानी ग्राह्य किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	